

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री उत्सव कौशल, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2019

उनवान

1. श्री मुलचन्द पिता नानू रेगर निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
 2. श्री किशनलाल पिता नानू रेगर निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
 3. श्री मति तुलसी पत्नी नानू रेगर निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- बनाम

1. श्री रूपा पिता जोधा रेगर निवासी रेगर मौहल्ला हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
 2. श्री शंकर पिता देबी रेगर निवासी रेगर मौहल्ला हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
 3. श्री काना पिता हीरा रेगर निवासी रेगर मौहल्ला हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ
- प्रार्थीगण
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 01.03.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि राजी नम्बर 356 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आ0नं0 364 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आ0नं0 377/1 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी वाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के अन्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार लेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व रित किये जाते हैं। अतः इनत थ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हमीरगढ पटवार हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 356 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आ0नं0 364 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आ0नं0 377/1 रकबा 1 बीघा 02 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 ध्यानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 01.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल होकर दाखिल दफतर रहे।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ